

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संसद पर अधिकार सुनिश्चित नियमों
विश्वविद्यालय के नाम में हो जाए जाए त
कि किसी अधिकार सुनिश्चित के नाम हो।
उच्चान्वय विषय पर वही पूर्ण ने उच्च
अधिकार दिया हो तो पर कलाकार पूर्ण दिल्ली
अधिकार दिया जाए जिससे उपरोक्त हो।



फ़ाइल प्राप्ति :
दृष्टान्त : (0751) 2241896
(0751) 2442829
फ़ैक्स : (0751) 2341768

ठेकड़ :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक/एफ/सम्बन्ध/२०१२/५४१९

दिनांक: २३/११/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सम्बद्ध श्री गवालाल लिंग शिक्षा महाविद्यालय, खिंचौली, ग्वालियर (0751-2435475) को जन २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित विद्यालय एम.ए.ए., पाठ्यक्रम उत्तराधिकारी/विषयों की अख्यालों
सम्बन्धित हेतु अनुशंसित प्रादान करने के लिये गवाजीव कुलपति महोदयव्याधी सभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने
विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिविवर २७(१०) के अन्तर्गत जिम्मेदार लिंगेश्वर सभिति का गठन किया है :-

(१) डॉ. ए.के. शर्मा, आवार्य, समाजकारी एवं आनीवज शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442868)

(२) डॉ. देव्जु श्रीगामी, प्राचार्य, गोरखन कॉलेज, ग्वालियर।

(३) डॉ. रंजना शिंश्रा, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

लिंगेश्वर सभिति के सदस्यों में अब्दुरेहा ने तिं ते परिविवर २७/२८ के प्रादानों के अनुसुन्धान एवं विशेषज्ञ जन
शुल्क, जोड़ेट राशि, गोपिता शैक्षणिक/अर्थात् खाता, प्राविकृत संस्का एवं प्राप्त अनुशासि/अवाप्ति प्रमाण-यत्र, अवै, कोड़ा परिवर पर
पाठ्यक्रम/आठिक्वेन्या तथा निधने सब में ही गढ़ शर्तों की गृहि नव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अलैक्षणिक स्टॉफ़ की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं तत्त्व आदि तो काटे में स्पष्ट प्रित्यर्थानुसारे अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यात्म शूण्या पत्र प्राप्त होने
के ३० दिनसे से अद्वार लिंगेश्वर सभिति संघोजक एवं सदस्यों ते सम्पर्क स्थापित कर लिंगेश्वर करायें। सभिति संघोजक से विवेदन है
कि ते तथा लिंगेश्वर लिंग जैसे लिंगेश्वर करें एवं प्रतिवेदन ०७ दिन ते लिंगेश्वर विद्यालय कार्यालय में जमा करें। लिंगेश्वर प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तराधिकार लिंगेश्वर सभिति / संघोजक का होना।

"सभिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद लिंगेश्वर ने तरी अई देवी के लिये गवाजीव उत्तराधिकारी द्वारा
आयुक्त, उच्च शिक्षा, अध्यात्म को भेज दी जायेगी। वहि विद्यालयल ०३ जात गे लिंगेश्वर बही कराता है तो सभिति लाग निरस्त हो
जायेगी और पुनः लिंगेश्वर सभिति व्यवस्था द्वारा लिंगेश्वर विद्यालय को उच्च रक्कम रु. २५,०००/- जमा करने द्वारा। तत्प्रकाश ही लिंगेश्वर
सभिति का पुरावकाल लिंग जायेगा। परिविवर २७(११)(७) के अनुसार उपर्युक्त प्राप्त लिंगेश्वर द्वारा देवा अध्यात्मिक होना।

लिंगेश्वर सभिति के साथ लिंगेश्वर शाश्वत गवाजीव अधीकार / कार्यालय लिंगेश्वर प्रशासनी लेकर जारी रखा गवाजीवलय की
स्वत्तुविवरों ते लिंगेश्वर सभिति को अप्रकाश करायें। लिंगेश्वर सभिति के उद्देश्यों को दी.ए. / दी.ए. / जालदेव गवाजीवलय द्वारा देवा
होना।

प्रतिलिपि :-

१. लिंगेश्वर सदस्यों की ओट सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
२. आवार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओट भेजकर आगाह है कि सभिति के संघोजक से संपर्क रापित कर लिंगेश्वर
- दिवानक लिंगेश्वर कर गवाजीवलय का लिंगेश्वर करायें। उक्त लिंगेश्वर १५ दिन ते अन्तर करने की व्यवस्था करें।
३. आगुण्ठ उच्च शिक्षा, संस्कृत अज्ञ, शोपाल
४. कुलाधिसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
५. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिये सहायता, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर